

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
16/10/2025

रजिस्टर्ड नम्बर
2025/17

प्रवेश तिथि
07.01.2025

निर्णय दिनांक
07.01.2026

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. हुरली पत्नी स्व. कल्लू जाति जाटव निवासी तूलेडा तहसील व जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4)

भू-आवंटन नियम, 1970

उपस्थित:-

01-श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक

—वकील प्रार्थी

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-14 (4) भूमि आवंटन नियम, 1970 जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम तूलेडा, तहसील व जिला अलवर की हाल आराजी खसरा न0 385 रकबा 0.10 है0, ख.नं. 396 रकबा 0.07 है0, ख.नं. 397 रकबा 0.08 है0, ख.नं. 398 रकबा 0.22 है0, ख.नं. 399 रकबा 0.04 है0, ख.नं. 400 रकबा 0.06 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 0.57 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी/अप्रार्थी बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा न0 385 रकबा 0.10 है0, ख.नं. 396 रकबा 0.07 है0, ख.नं. 397 रकबा 0.08 है0, ख.नं. 398 रकबा 0.22 है0, ख.नं. 399 रकबा 0.04 है0, ख.नं. 400 रकबा 0.06 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 0.57 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम तूलेडा, तहसील व जिला अलवर सन् 1970 के बाद अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटनी का आवंटन के समय कब्जा रहा है। जिस बाबत पटवारी हल्का तूलेडा की रिपोर्ट दिनांक 05.11.2024 से स्पष्ट रूप से जाहिर व साबित है कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा काशत नहीं है तथा ना ही मौके पर फसल पाई गई। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम में नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थी द्वारा राज0 कृषि भूमि आवंटन नियम 1970, नियम 14 (4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है।

प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के सुनने योग्य है। अतः श्रीमान की सेवा में यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है की आवंटन सन् 1970 के बाद जो आवंटन अप्रार्थी को हाल आराजी खसरा न0 385 रकबा 0.10 है0, ख.नं. 396 रकबा 0.07 है0, ख.नं. 397 रकबा 0.08 है0, ख.नं. 398 रकबा 0.22 है0, ख.नं. 399 रकबा 0.04 है0, ख.नं. 400 रकबा 0.06 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 0.57 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम तूलेडा, तह0 व जिला अलवर का किया गया था, उसे निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक की बहास सुनी। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित भूमि का आवंटन अप्रार्थी को कृषि कार्य हेतु किया गया था। पटवारी हल्का तूलेडा की रिपोर्ट दिनांक 05.11.2024 के अनुसार हाल आराजी खसरा न0 385 रकबा 0.10 है0, ख.नं. 396 रकबा 0.07 है0, ख.नं. 397 रकबा 0.08 है0, ख.नं. 398 रकबा 0.22 है0, ख.नं. 399 रकबा 0.04 है0, ख.नं. 400 रकबा 0.06 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 0.57 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम तूलेडा अप्रार्थी हुरली पत्नी स्व. कल्लू जाति जाटव सा. देह गैर खातेदार अलोटी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मौके पर उपस्थितों द्वारा बताया गया कि उपरोक्त गैर खातेदार ग्राम तूलेडा में निवास नहीं करता है। गैर खातेदारी भूमि मौके पर हुरली पत्नी कल्लू एवं उनके किसी भी पारिवारिक सदस्य के कब्जे काशत

आ. संयुक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)


की नहीं है। गैर खातेदार ग्राम के रहवासी नहीं है। माके पर ग्राम के दीगर व्यक्तियों द्वारा भूमि काशत की जा रही है।

मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट आवंटन की मूल शर्त "स्वयं काशत" की पालना नहीं की जा रही है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त विवादित हाल आराजी खसरा न0 385 रकबा 0.10 है0, ख.नं. 396 रकबा 0.07 है0, ख.नं. 397 रकबा 0.08 है0, ख.नं. 398 रकबा 0.22 है0, ख.नं. 399 रकबा 0.04 है0, ख.नं. 400 रकबा 0.06 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 0.57 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम तूलेडा मौके पर गैर खातेदार आवंटी का कब्जा-काशत नहीं है एवं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भूमि काशत की जा रही है। उक्त खसरे पर पर गैर-खातेदार का कब्जा-काशत नहीं है। राजस्थान भू-राजस्व (भूमि आवंटन) नियम, 1970 का मुख्य उद्देश्य भूमिहीन कृषकों को जीवनयापन हेतु भूमि देना है, बशर्ते वे उस पर स्वयं काशत करें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अप्रार्थीगण ने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया है। वे विवादित भूमि पर न तो स्वयं काशत कर रहे हैं और न ही उनका मौके पर कब्जा पाया गया है। भूमि का उपयोग उस उद्देश्य (कृषि) के लिए नहीं किया जा रहा है जिसके लिए राज्य सरकार ने इसे आवंटित किया था। अतः प्रार्थी (तहसीलदार) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी, तहसीलदार अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है और ग्राम तूलेडा, तहसील व जिला अलवर स्थित हाल आराजी खसरा न0 385 रकबा 0.10 है0, ख.नं. 396 रकबा 0.07 है0, ख.नं. 397 रकबा 0.08 है0, ख.नं. 398 रकबा 0.22 है0, ख.नं. 399 रकबा 0.04 है0, ख.नं. 400 रकबा 0.06 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 0.57 हैक्टेयर भूमि का आवंटन, जो अप्रार्थी/आवंटी (हुरली पत्नी स्व. कल्लू) के पक्ष में किया गया था, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उक्त भूमि को अप्रार्थीगण के नाम से खारिज कर पुनः सिवायचक (राजकीय) भूमि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाँह तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)

सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)